

प्रेस नोट थाना एम्स जनपद गोरखपुर दिनांक 16.09.2023

चोरी का अपराध कारित करने के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से पायल पैसे एवं स्कूटी बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा चोरी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट गोरखपुर के पर्यवेक्षण में एवं थानाध्यक्ष एम्स मदन मोहन मिश्र के नेतृत्व में उ०नि० अभिषेक कुमार राय थाना एम्स जनपद गोरखपुर मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 47/2023 धारा 420, 380, 506 भादवि० से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त बिजली पान्डेय पुत्र स्व० स्वामीनाथ निवासी ग्राम पांडा पट्टी सीतापुर थाना लौरिया जनपद पश्चिम चम्पारण बिहार को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक सफेद धातू का पायल, 3000 रूपये नकद व एक अदद स्कूटी संख्या-UP56AQ0042 बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि० की वृद्धि की गई। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण-

दिनांक 24.08.2023 को वादिनी मुकदमा के लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 47/2023 धारा 420, 380, 506 भादवि० पंजीकृत किया गया। अभियुक्त बिजली पाण्डेय उपरोक्त द्वारा वादिनी के घर पर जाकर वादिनी के साथ जालसाजी करके उनको डराया धमकाया कि उसके दोनों लड़को को जान का खतरा है यदि पूजा पाठ किया जाए तो बच सकते है। इस पर वादिनी द्वारा अभियुक्त पर विश्वास करके पूजा पाठ शुरू कराया गया, इसी बीच अभियुक्त ने जालसाजी कर वादिनी से सोने की बाली, मंगलसूत्र, पायल व 1000 रूपये लेकर भाग गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

बिजली पान्डेय पुत्र स्व० स्वामीनाथ निवासी ग्राम पांडा पट्टी सीतापुर थाना लौरिया जनपद पश्चिम चम्पारण बिहार

बरामदगी-

एक सफेद धातू का पायल, 3000 रूपये नकद व एक अदद स्कूटी संख्या-UP56AQ0042

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ०नि०प्र० अभिषेक कुमार राय थाना एम्स जनपद गोरखपुर
2. का० संतोष कुमार सिंह, थाना एम्स जनपद गोरखपुर
3. का० अजय कुमार चौधरी, थाना एम्स जनपद गोरखपुर
4. का० प्रदीप कुमार, थाना एम्स जनपद गोरखपुर